रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1592] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2016/आषाढ़ 6, 1938
No. 1592] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2016/ASHADHA 6, 1938

## वित्त मंत्रालय
**(राजस्व विभाग)**

**(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

**(आय-कर)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2016

**का.आ. 2213(अ).—** केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (2) के खंड (जक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 127 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"128. विदेशी कर क्रेडिट – (1)** किसी निर्धारिती को, निवासी होने के कारण उसके द्वारा भारत से बाहर किसी देश में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किसी विदेशी कर की रकम के लिए कटौती द्वारा या अन्यथा उस वर्ष, जिसमें ऐसे कर से तत्स्थानी आय इस नियम में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और विस्तार तक भारत में कर के लिए प्रस्थापित की गई है या कर के लिए निर्धारित की गई है, को कोई क्रेडिट दिया जाएगा :

परंतु ऐसी दशा में जहां आय जिसपर विदेशी कर संदत्त या घटाया गया है, एक से अधिक वर्ष में कर लगाने के लिए प्रस्थापित किया गया है, विदेश कर का क्रेडिट उन वर्षों में, समान अनुपात में अनुज्ञात किया जाएगा, जिनमें आय भारत में कर के लिए प्रस्थापित या कर के लिए निर्धारित की गई है।"

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विदेशी कर से, -

(क) भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसके साथ भारत में धारा 90 और धारा 90क के संबंध में आय के दोहरे कराधान की राहत या परिवर्जन के लिए कोई करार किया है, उस करार के अधीन आने वाला कर ;

(ख) भारत से बाहर किसी अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसके साथ भारत में धारा 91 के स्पष्टीकरण के खंड IV में निर्दिष्ट आयकर के रूप में उस देश में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के अधीन संदेय कर, अभिप्रेत है।

(3) उपनियम (1) के अधीन क्रेडिट, अधिनियम के अधीन संदेय कर, अधिभार और उप-कर की रकम के विरुद्ध उपलब्ध होगा परंतु ब्याज, फीस या शास्ति के रूप में संदेय किसी रकम के संबंध में नहीं।

(4) उपनियम (1) के अधीन कोई क्रेडिट विदेशी कर की किसी रकम या उसके भाग के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा, जो निर्धारिती द्वारा किसी रीति में विवादित हो :

परंतु ऐसे विवादित कर का क्रेडिट उस वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसी आय भारत में कर के लिए प्रस्थापित या कर के लिए निर्धारित की गई है, यदि निर्धारिती उस मास, जिसमें विवाद अंतत: निपटाया जाता है, के अंत से छह मास के भीतर विवाद के निपटारे का साक्षय और उस प्रभाव का कोई साक्षय देता है कि ऐसे विदेशी कर के संदाय के लिए दायित्व का उसके द्वारा निर्वहन किया गया है और कोई वचनबंध देता है कि ऐसी रकम के संबंध में किसी प्रतिदाय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावा किया गया है या दावा किया जाएगा।

(5) विदेशी कर का क्रेडिट भारत से बाहर किसी विशिष्ट देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से उदभूत आय के प्रत्येक स्रोत के लिए पृथकत: संगणित क्रेडिट की रकमों का सकल योग होगा और निम्नलिखित रीति में प्रभावी होगा :-

(i) ऐसी आय पर संदत्त विदेशी कर पर क्रेडिट अधिनियम के अधीन संदेय कर का निम्नतर होगा :

परंतु जहां संदत्त विदेशी कर, दोहरे कराधान के लिए राहत या परिवर्जन के लिए करार के उपबंधों के अनुसार संदेय कर की रकम से अधिक होता है, वहां इस खंड के प्रयोजन के लिए ऐसी अधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ;

(ii) क्रेडिट विदेशी कर के संदाय की मुद्रा के परिवर्तन द्वारा टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट पर उस मास से ठीक पूर्ववर्ती मास, जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया या घटाया गया है, के अंतिम दिन अवधारित किया जाएगा।

(6) किसी मामले में जहां कोई कर धारा 115जख या धारा 115जग के उपबंधों के अधीन संदेय है, वहां विदेशी कर का क्रेडिट ऐसे कर के विरुद्ध उसी रीति में अनुज्ञात किया जाएगा जो उक्त धाराओं (जिनको इसके पश्चात् "सामान्य उपबंध" कहा गया है) के उपबंधों से अन्यथा अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय किसी कर के विरुद्ध अनुज्ञेय है।

(7) जहां धारा 115जख या धारा 115जग के उपबंधों के अधीन संदेय कर के विरुद्ध उपलब्ध विदेशी कर क्रेडिट की रकम सामान्य उपबंधों के विरुद्ध उपलब्ध कर क्रेडिट की रकम से अधिक होती है, यथास्थिति, धारा 115जख या

धारा 115जग के अधीन संदत्त करों के संबंध में धारा 115जकक या धारा 115जघ के अधीन क्रेडिट की रकम की संगणना करते हुए ऐसे आधिक्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(8) किसी विदेशी कर का क्रेडिट निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज देने पर अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से आय का विवरण जिसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कर के लिए और प्ररुप सं. 67 में ऐसी आय पर काटे गए या संदत्त किए गए विदेशी कर प्रस्थापित किया गया है और उसमें विनिर्दिष्ट तरीके से सत्यापित किया गया है ;

(ii) आय की प्रकृति और उससे काटे गए या निर्धारिती द्वारा संदत्त किए गए कर की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र या विवरण, -

(क) भारत से बाहर  देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकारी से; या

(ख) ऐसे कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से ; या

(ग) निर्धारिती द्वारा हस्ताक्षरित;

परंतु खंड ग में निर्धारिती द्वारा दिया गया विवरण तभी विधिमान्य होगा, यदि उसके साथ निम्नलिखित संलग्न है, --

(क) जहां निर्धारिती द्वारा संदाय किया गया है, वहां ऑनलाइन संदाय की कोई अभिस्वीकृति या बैंक प्रतिपर्ण;

(ख) जहां कर की कटौती की गई है, वहां कटौती का सबूत;

(9) उपनियम (8) के खंड (i) निर्दिष्ट प्ररुप सं. 67 में विवरण और उपनियम (8) के खंड (ii) निर्दिष्ट प्रमाणपत्र या विवरण धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर की विवरणी देने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय की ऐसी विवरणी देने के लिए विनिर्दिष्ट रीति में दिए जाएंगे ।

(10) किसी मामले में, जहां चालू वर्ष की हानि के पश्चनयन के परिणामस्वरूप विदेशी कर का प्रतिदाय होता है, जिसके लिए क्रेडिट का दावा किसी पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में किया गया है, प्ररुप सं.  67 भी दिया जाएगा ।"।

**स्पष्टीकरण –** इस नियम के प्रयोजनों के लिए 'टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट' के वही अर्थ होंगे जो उसके नियम 26 के स्पष्टीकरण में हैं ।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 2 में, प्ररुप सं. 66 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"प्ररुप सं. 67"**

[नियम 128 देखें]

**भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से आय और विदेशी कर क्रेडिट का विवरण**

**<u>भाग क</u>**

1. निधारिती का नाम ..........................................
2. पैन

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

3. पता ......................................
......................................

4. निर्धारण वर्ष ......................................

5. भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से आय और दावाकृत विदेशी कर क्रेडिट के ब्यौरे

| क्रम संख्या | देश/विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का नाम | आय का स्रोत | भारत से बाहर से आय | भारत से बाहर संदत्त कर | | भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर | धारा 115 जख/जग के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर | धारा 90/90क के अधीन दावाकृत क्रेडिट | | | धारा 91 के अधीन दावाकृत क्रेडिट रकम | दावाकृत कुल विदेशी कर क्रेडिट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | रकम | दर | | | दोहरा कराधान परिवर्जन करारों की अनुच्छेद संख्या | दोहरा कराधान परिवर्जन करारों के अनुसार कर की दर | रकम | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | वेतन | | | | | | | | | | |
| | | गृह संपत्ति | | | | | | | | | | |
| | | कारबार/वृत्तिक आय | | | | | | | | | | |
| | | दीर्घावधि पूंजी लाभ | | | | | | | | | | |
| | | अल्पावधि पूंजी लाभ | | | | | | | | | | |
| | | ब्याज-आय | | | | | | | | | | |
| | | लाभांश | | | | | | | | | | |
| | | रायॅल्टी, जो कारबार आय का भाग नहीं है। | | | | | | | | | | |
| | | तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जो कारबार आय का भाग नहीं है | | | | | | | | | | |
| | | अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

भाग ख

(क) क्या किसी पूर्व लेखावर्ष में हानियों के पश्चनयन के परिणामस्वरूप विदेशी कर का कोई प्रतिदाय दावाकृत किया गया है। हाँ / नहीं

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें:-

| | | |
|---|---|---|
| | (i) लेखावर्ष, जिससे संबंधित ऐसी हानियां हैं | ............... |
| | (ii) लेखावर्ष, जिसमें हानि की पश्चनयन की क्षतिपूर्ति की गई है | ............... |
| | (iii) लेखावर्ष के लिए दावाकृत प्रतिदाय | ................ |
| | (iv) पूर्ववर्ती वर्ष, जिससे (iii) में निर्दिष्ट प्रतिदाय संबंधित है | |
| 2 (क) | क्या किसी विदेशी कर के लिए क्रेडिट, जो विवादाधीन है, का दावा किया गया है | हां/नहीं |
| (ख) | यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :- | |
| | (i) आय, जिसके संबंध में कर विवादित है, की प्रकृति और रकम | .............. |
| | (ii) ऐसे विवादित कर की रकम | |

**सत्यापन**

**मैं** ............................ पुत्र/पुत्री ...................., स्थायी खाता संख्या....................... का धारक होते हुए घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त विवरण के भाग क और भाग ख में दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है और सच्चाई से कथित की गई है ।

मैं और घोषणा करता हूं कि मैं यह कथन ...................के रूप में अपनी हैसियत में कर रहा हूं और मैं इस कथन को करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज तारीख .................को सत्यापित

स्थान :-

हस्ताक्षर

**टिप्पण** – नियम 128 के उपनियम (8) के खंड (ii) में यथानिर्दिष्ट विदेशी कर के संदाय/कटौती का प्रमाणपत्र या विवरण और सबूत संलग्न करें ।

[अधिसूचना सं. 54/2016/फा. सं. 142/24/2015-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड **(ii)** अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 2196(अ), तारीख 24.06.2016 द्वारा संशोधित किए गए ।